

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 3194/12-1 गोपेश्वर, दिनांक 20-2 2018  
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वारा:- निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय :- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12951/2015 गौचर सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि FP/UK/ROAD/10861/2015 के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :-

Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	Provide Sparate Compoment wise break up in B- 2.4 as in following way:- (a) – Road - Muck dumping	component wise break break up Road & Muck dumping के अनुसार संशोधित कर पार्ट I में आन लाइन किया गया है।
2	In reply to point no. 7, VLC proceedings date of other two villages submitted now are after DM certificate which is not acceptable.	ग्राम ओव्याग्वाड एवं धनपुर की VLC प्रपत्र अलग-2 कर पार्ट I में आनलाईन अपलोड किया गया है। संलग्न
3	4. In reply to point no. 12, as per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees 737 trees are below diameter 0-10 cm therefore the trees proposed to be felled are 230 but the entry of 255 trees are made in online Part-II, which may be corrected accordingly.	पार्ट II में संशोधित कर अपलोड किया गया है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोनि0वि0 गौचर के पत्रांक 280 /1 सी0 वन दिनांक 12-02-2018 की छायाप्रति मय संलग्नक के प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 280 /1 सी0 (वन)  
सेवा में,

दिनांक 12/ 2 /2018

उपवन संरक्षक  
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग  
गोपेश्वर।

विषय- प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2015 गोचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर

सन्दर्भ:- भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।  
आपका ई0डी0एस0 दिनांक 12.2.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक सं0 115/1सी0 (वन)  
दिनांक 17.01. 2018

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि गोचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार कर दिया गया है।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Provide Separate component wise break up in B-2.4 as in following way :- a -road b -muck dumping a-	यह बिन्दु पूर्व में ही दिनांक 12.2.2018 के ई0डी0एस0 द्वारा लगाई गई आपत्ति के क्रम में दिनांक 17.1.2018 को component wise break up संशोधित कर दिया गया है। संलग्न- 1 component wise break up की छायाप्रति (पेंज नं0 2)
2	In reply to point no. 7, VLC proceedings date of other two villages submitted now are after DM certificate which is not acceptable.	VLC ग्राम स्तरीय समिति मे तीनों ग्रामो (धनपुर, ओब्यागवाड एवं चर्खिलगवाड) के प्रपत्रों मे दिनांक 10. 02.2015 को हस्ताक्षर किये गये है, जबकि जिलाधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र मे दिनांक 10. 2.2015 के बाद दिनांक 26.5.2015 को हस्ताक्षर किये गये है। एफ0आर0ए0 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। संलग्न- एफ0आर0ए0 की छायाप्रति। (पेंज नं0 3 से 11)
3	In reply to point no. 12, as per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees 737 trees are below diameter 0-10 cm therefore the trees proposed to be felled are 230 but the entry of 255 trees are made in online Part-II, which may be corrected accordingly.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

पत्रांक /1सी0 (वन)

तददिनांक

प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ

भवदीय  
अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0  
गौचर (चमोली)  
12/2/18

अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0  
गौचर (चमोली)

Village	Forest Land(in ha.)	Non Forest Land(in ha.)	Delete
Obyagwad	0.39	0	<input type="button" value="DELETE"/>
Charkhil gwad	0.5	0	<input type="button" value="DELETE"/>
Dhanpur	1.34	0	<input type="button" value="DELETE"/>

**B-2.4 Component wise breakup (Note:Multiple entries of Component allowed)**

**Component wise Linear breakup (Note:1Km square=100ha.)**

Component*	Forest Land			Non Forest Land			Total
	Length(if any)	Width(if any)	Area	Length(if any)	Width(if any)	Area	
	(km.)	(km.)	(ha.)	(km.)	(km.)	(ha.)	(ha.)
<input type="button" value="ADD"/>							
Component	Length of Forest Land(in Km.)	Width of Forest Land(in Km.)	Forest Land(in ha.)	Length of Non Forest Land(in Km.)	Width of Non Forest Land(in Km.)	Non Forest Land(in ha.)	Delete
obyagwad ( van panchayat)	0.515	0.007	0.36	0	0	0	<input type="button" value="DELETE"/>
Charkhil gwad (van panchayat)	0.671	0.007	0.47	0	0	0	<input type="button" value="DELETE"/>
Dhanpur (van panchayat)	1.814	0.007	1.27	0	0	0	<input type="button" value="DELETE"/>
muck disposal at obyagwad x.s. 0/5 to 0/8	0.075	0.004	0.03	0	0	0	<input type="button" value="DELETE"/>
muck disposal at charkhil gwad x.s. 0/34 to 0/35	0.075	0.004	0.03	0	0	0	<input type="button" value="DELETE"/>
muck disposal at dhanpur x.s. 1/5 to 1/9	0.1	0.004	0.04	0	0	0	<input type="button" value="DELETE"/>
muck disposal at dhanpur x.s. 2/6 to 2/9	0.075	0.004	0.03	0	0	0	<input type="button" value="DELETE"/>

**C. Maps of forest land proposed to be diverted (Note:Multiple entries of division wise pathes are allowed.)**

Division name * : Select	Area of forest land to be diverted(in ha.) * :			
Patch/Segment wise details				
Select No. of segments* : Select				
Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted *:(.pdf only)	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen			
Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using DGPS or Total Station *:(.pdf only)	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen			
<input type="button" value="ADD"/>				
Division Name	Area(in ha.)	Upload a copy of Survey of India Toposheet	Upload a scanned copy of the Geo-referenced map	Delete
Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	2.23	<input type="button" value="Uploaded File"/>	<input type="button" value="Uploaded File"/>	<input type="button" value="DELETE"/>




Disclaimer

An innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.  
For any clarification, kindly contact at(011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

FORM-1

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated 26/05/2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.230 hectares of forest land propose d to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Extension of Gauchar-Sidoli-Dhanpur motor road" in Chamoli district falls within jurisdiction, Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur village (s) in Karanprayag tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.230 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur ' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Euel: As above.



Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)  
मिलाधिकारी  
चमोली

ANNEXURE....  
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE  
DISTRICT Chamoli (U.K.)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date ~~26.5.2015~~ <sup>26.5.2015</sup> at time ~~4.00 PM~~ <sup>4.00 PM</sup> at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.230 hect for the construction of "Extension of Gauchar-sidoli-Dhanpur motor road" and forest land 2.230 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar  
Dated:.....

District Magistrate-cum-Chairman  
District Level Committee

मिलाधिकारी  
चमोली

**परियोजना का नाम:-**

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार के निर्माण हेतु 2.100 हे० वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल 2.230 हे० भूमि का संशोधन को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति.....

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार हेतु ( आरक्षित वन भूमि ...X... हे०, वन पंचायत भूमि 2.100 हे०, मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० अर्थात् कुल 2.230 हे० वन भूमि) का अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०, गौचर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 25/3/15 को सम्मन बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [Signature] उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री [Signature] उप जिलाधिकारी, घांघरी अध्यक्ष।
- 2- श्री [Signature] उप प्रमाणीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर सदस्य।
- 3- श्री [Signature] प्रमाणिक समाज कल्याण अधिकारी गोपेश्वर सदस्य / सचिव श्री श्रीमती प्रभा देवती
- 4- श्रीमती [Signature] वी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती प्रभा देवती (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अगुआई में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार निर्माण हेतु 2.230 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वन क्षेत्र का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संश्लिष्ट उप प्रमाणीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रावधान को लागू करने हेतु माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी आवेदन का दावा/अवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार निर्माण हेतु 2.230 हे० वन भूमि को जनहित में अधिकार प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-गौचर  
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-गौचर  
जनपद-चमोली

नादिपाल सिंह नेगी, सहायक क्षेत्र पंचायत चमोली  
मालवत पुरोहित, सहायक क्षेत्र पंचायत चमोली

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल भूमि 2.230 हे० भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- ओब्याग्वाड  
तहसील- कर्णप्रयाग  
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे० एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ओब्याग्वाड द्वारा दिनांक 10.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ओब्याग्वाड के ग्रामवासियों को उक्त 2.230 हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- : जी०बी० जोशी  
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत ओब्याग्वाड  
ग्राम पंचायत - ओब्याग्वाड  
द्वारा खण्ड-कर्णप्रयाग


ह०/-  
ग्राम प्रधान




दिनांक ...10/02/2015...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत -ओब्यागवाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रजेश कुमार	रजेश कुमार
2	ममता देवी	ममता देवी
3	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
4	शाला देवी	शाला देवी
5	सुनी देवी	सुनी देवी
6	सरोज देवी	सरोज देवी
8	वर्मा देवी	वर्मा देवी
9	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
10	विशाल देवी	विशाल देवी
11	कमला देवी	कमला देवी
12	विशाल देवी	विशाल देवी
13	रजेश देवी	रजेश देवी
14	विजय देवी	विजय देवी

  
 जी०बी० जोशी  
 ग्राम पंचायत अधिकारी  
 ग्राम पंचायत - ओब्यागवाड  
 विद्यमान स्वच्छ-वर्णप्रधान

ह०/-  
ग्राम प्रधान





परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल भूमि 2.230 हे० भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- धनपुर  
तहसील- कर्णप्रयाग  
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे० एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में धनपुर द्वारा दिनांक 10.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनपुर के ग्रामवासियों को उक्त 2.230हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।  
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- जी०बी० जोशी  
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत - धनपुर  
विकास खण्ड - कर्णप्रयाग

ह०/-  
ग्राम प्रधान




प्रपत्र-23.1


दिनांक 10/2/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - धनपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शीतल सिंह	शीतल सिंह
2	बचन सिंह	बचन सिंह
3	हरि शर्मा	हरि शर्मा
4	नरेश सिंह	नरेश सिंह
5	दिनेश कुमार सिंह	दिनेश कुमार सिंह
6	मदन बाल सिंह	मदन बाल सिंह
7	विनोद सिंह	विनोद सिंह
8	जगजपाल	जगजपाल
9	धन सिंह	धन सिंह
10	हेम-क सिंह	हेम-क सिंह

  
 जी०बी०जी०श्री  
 ग्राम पंचायत अधिकारी  
 ग्राम पंचायत -- अमरमाता  
 विकास खण्ड - कर्णप्रयाग

ह०/-  
ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- चर्खिल ग्वाड  
तहसील- जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चर्खिल ग्वाड द्वारा दिनांक 10.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चर्खिल ग्वाड के ग्रामवासियों को 2.230 हे० वन पंचायत भूमि भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०  
ग्राम सचिव  
चर्खिल ग्वाड  
तहसील चर्खिल ग्वाड  
जिला चमोली

सरपंच  
वन पंचायत  
ग्राम चर्खिल ग्वाड  
जिला चमोली



प्रपत्र-23.1

दिनांक 10/02/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - चखिल ग्वाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
2-	राज सिंह	राज सिंह
3-	राजी देवी	राजी देवी
4-	विजय देवी	विजय देवी
5-	मनो देवी	मनो देवी
6-	राज सिंह	राज सिंह
7-	राज सिंह	राज सिंह
8-	राज सिंह	राज सिंह
9-	लीला देवी	लीला देवी
10-	जय देवी	जय देवी
11-	मनो देवी	मनो देवी
12-	लीला देवी	लीला देवी
13-	मातेर देवी	मातेर देवी

सदस्य  
ग्राम पंचायत  
भाग चखिल ग्वाड  
मनो देवी

